अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2021 (RCMS 2021/69) (RTI-212022927771195) श्री मदन सिंह पुत्र श्री मोहब सिंह राठौड, ग्राम व पो. लादड़िया तहसील व जिला चुरू (पिन – 331029) बनाम तहसीलदार (राजस्व), घड़साना

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मदन सिंह उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2021 से तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को दण्डित करने एवं बिन्दुवार सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.04.2021 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2021 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमानजी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के कर्मचारी अधिकारी के हाजरी रजिस्टर माह सितम्बर 29020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
2. श्रीमान्जी, लिखित सूचना प्रदान करें दिनांक 14.09. 2020 से आज दिनांक 17.09.2020 तक कार्यालय का वाहन आरजे 13 [illegible] को किस (वाहन चालक) द्वारा चलाया जा रहा है उक्त (वाहन चालक) का नाम, [illegible] योग्यता की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना का वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की एच.एस.डी. सप्लाई हेतु लेगा फिलिंग स्टेशन घड़साना को आप द्वारा इनडेन्ड क्र.सं. 01786 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
4. श्रीमान्जी लेगा फीलिंग स्टेशन घड़साना द्वारा प्राप्त एचएसडी बिल क्र.सं. 51182 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।
5. श्रीमानजी, कार्यालय की वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की लोग बुक दिनांक 11.09.2020 की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।
6. श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना क्षत्र के 11 एआरएम की जरीब द्वारा सीमा ज्ञान के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश श्री नायब तहसीलदार श्री विनोद पूनिया, श्री शिवराज गिरदावर, श्री दीपक पटवारी, श्री ओम पटवारी एवं मदन सिंह राठौड, वाहन चालक की दिनांक 11.09.2020 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
7. श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में श्री मदन सिंह राठौड, वाहन चालक की प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त के श्री मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक द्वारा प्राप्ति आदेश दिनांक 11.09.2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
8. श्रीमानजी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के वाहन संख्या आजे 13 यूए 3978 की मरम्मत माह अक्टूबर 2019 से माह सितम्बर 2020 तक श्री मदन सिह राठौड वाहन चालक द्वारा आपके मौखिम आदेशों की पलाना में करवाया गया मरम्मत कार्यों के बिलों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
9. श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में कार्यरत श्री मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक के यात्रा भत्ता बिल माह अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने अपने पत्रांक विविध/सू.का.अ./2021/486 दिनांक 19.04.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

क्र. सं.	**चाही गई सूचना**	**सूचना**
1	श्रीमानजी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के कर्मचारी अधिकारी के हाजरी रजिस्टर माह सितम्बर 29020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या —04
2	श्रीमान्जी, लिखित सूचना प्रदान करें दिनांक 14.09.2020 से आज दिनांक 17.09.2020 तक कार्यालय का वहन आरजे 13 यूए 3978 को किस (वाहन चालक) द्वारा चलाया जा रहा है। उक्त (वाहन चालक) का नाम, पदनाम एवं शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या —02
3	श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना का वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की एच.एस.डी. सप्लाई हेतु लेगा [illegible] घड़साना को [illegible] इन[illegible] 14.09.2020 की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या —01

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		4	श्रीमान्जी लेगा फीलिंग स्टेशन घड़साना द्वारा प्राप्त एचएसडी बिल क्र.सं. 51182 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या –01
		5	श्रीमानजी, कार्यालय की वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की लोग बुक दिनांक 11.09.2020 की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या –04
		6	श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना क्षेत्र के 11 एआरएम की जरीब द्वारा सीमा ज्ञान के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश श्री नायब तहसीलदार श्री विनोद पूनिया, श्री शिवराज गिरदावर, श्री दीपक पटवारी, श्री ओम पटवारी एवं मदन सिंह राठौड, वाहन चालक की दिनांक 11.09.2020 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	संबंधित कार्मिकों की दैनिक डायरी की दिनांक 11.09. 2020 की प्रतिलिपि चाही गई है। जिसके संदर्भ में लेख है कि कार्मिकों की दैनिक डायरी की निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क 20/– रूपये प्रतिदिन अनुसार शुल्क नियमानुसार जमा करवाया जाना अपेक्षित है। चाही गईसूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या –05
		7	श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में श्री मदन सिंह राठौड, वाहन चालक की प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त के श्री मदन सिंह रा[illegible]न चा[illegible] दिनांक 11.09.20[illegible] की प्रमाणित फोटो प्रति[illegible] प्रदान करें।	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या –01

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8	श्रीमानजी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के वाहन संख्या आजे 13 यूए 3978 की मरम्मत माह अक्टूबर 2019 से माह सितम्बर 2020 तक श्री मदन सिह राठौड वाहन चालक द्वारा आपके मौखिम आदेशों की पलाना में करवाया गया मरम्मत कार्यों के बिलों की प्रमाणित फोटो प्राते प्रदान करें।	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या –20
9	श्रीमान्जी कार्यालय तहसील (राजस्व), घड़साना में कार्यरत श्री मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक के यात्रा भत्ता बिल माह अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।	उक्त कार्मिक पूर्व मं इस कार्यालय में प्रतिनियुक्त था जिसको वेतन एवं अन्य भत्तों आदि यथा यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान की कार्यवाही कार्मिक के मूल पदस्थापन विभाग भू–जल वैज्ञानिक (सर्वेक्षण एवं अनुसंधान), भू जल विभाग, श्रीगगानगर से किया जाता रहा है। इस कार्यालय स्तर से कार्मिक के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाते हुए लेख है कि चाही गयी सूचना से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने अनुसार 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से निर्धारित शुल्क एवं कार्मिकों की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रतिलिपि शुल्क 20/– रूपये प्रति पृष्ठ अनुसार नियमानुसार [illegible] चालान [illegible] जमा करवाये ताकि चाही गई सूचना आपको भिजवा[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
तहसीलदार (राजस्व),
घड़साना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर तहसीलदार, घड़साना द्वारा दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए तहसीलदार, घड़साना ने सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सूचनाओं के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 19.04.2021 को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

योग्य है फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, घड़साना को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं की राशि यदि राजकोष में जमा करवा दी जाये तो उसे नियमानुसार देय सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति **तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested